न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
68 / 2022 प्रा.पत्र / 2022 सीसीएमएस न0 156 / 2022	20.07.2022	23.01.2026

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियत्रण टोंक राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

1–श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विमल किराणा स्टोर सरदार सर्किल के पास उनियारा जिला टोंक राज.। निवासी वार्ड नं. 9 तमोलियों का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304024

2–श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स मित्तल एजेन्सीज टोंक रोड उनियारा जिला टोंक राज.। निवासी वार्ड नं. 7 उनियारा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304024

3–श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री भवर लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी सरोवर कॉम्पलेक्स, सरोवर टॉकीज के पास कोटा राज.। निवासी ए 278, रिद्वी सिद्वी नगर, कुन्हाडी, गिरधरपुरा, थर्मल कॉलोनी, कोटा राज.। पिनकोड–324008

4–श्री राठौड राजूभाई ऊकाभाई नॉमिनी मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा न. 54 / 2, 54 / 2ए, 54 / 2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन। पिनकोड–396210 निवासी जूनो तलोदरा रोड कात्या काडी विस्तार, शिल, जूनागढ, गुजरात। पिनकोड–362240

5–मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा नं. 54 / 2, 54 / 2ए, 54 / 2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन। पिनकोड–396210

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पैरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:–निर्णय–:

दिनांक 23.1.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.12.2021 को समय दोपहर 01:51 पी.एम. पर मैसर्स विमल किराणा स्टोर सरदार सर्किल के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉं पर विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन ने स्वय को प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर / मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल मूंगफली व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** दुकान की रैक में 452–452 ग्राम के 4 नग मूल पैक व 904–904 ग्राम के 10 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों मे विक्रेता श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** जिसके बैच नं0 305 एवं पैंकिग की दिनांक 11/21 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 452–452 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** 452–452 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2982 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2982 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील वपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील वपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मित्तल एजेन्सीज टोंक रोड उनियारा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स मित्तल एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी सरोवर कॉम्पलेक्स, सरोवर टॉकीज के पास कोटा का एवं मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा नं. 54/2, 54/2ए, 54/2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन का खरीद बिल पेश किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/55 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1824/एक्ट/2021/1718 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(ZX) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध श्री विष्णु कुमार जैन ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/178 एफ/2022 दिनांक 24.05.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(ZX) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त खाद्य पदार्थ घी में foreign fat पाया गया है क्योंकि यह दुधारू पशुओं को दिए जाने वाले पशु आहार में पाया जाता है जिससे अप्रत्यक्ष रूप में पशुओं के दूध से निर्मित सभी उत्पाद दही, घी आदि में यह आ जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं 1ता 3 को दोषमुक्त किया जावें तथा प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी श्री सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Shree Saras Agmark Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता0 3 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को दोषमुक्त किया जाता है। अप्रार्थी सं0 4 व 5 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 4 व 5

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करे। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(रामरतन ...)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त ... मजिस्ट्रेट
टोंक–राज